निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,

मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

Phone : 05946-297051 Fax- 05946-297050 E-mail- directorsocialwelfare@gmail.com Website- www.socialwelfare.uk.gov.in

निःशुल्क कोचिंग योजनान्तर्गत आवेदन की अंतिम तिथि वृद्धि सूचना

वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु राजकीय सेवा प्रवेश परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग योजना के अन्तर्गत पूर्व में दिनांक 01.09.2019 को जारी विज्ञापन के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु अन्तिम तिथि 20.09.2019 निर्धारित की गयी थी।

सम्यक विचारोपरान्त आवेदकों के हित में इस योजना में आवेदन पत्र **केवल रजिस्टर्ड डाक** के माध्यम से निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल में प्राप्त करने की **अन्तिम तिथि 20.09.2019 से बढ़ाकर 30.09.2019** की जाती है। आवेदन की शेष शर्तें पूर्ववत ही रहेंगी। आवेदन हेतु प्रारूप व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट www.socialwelfare.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

विनोद गोस्वामी
पी0सी0एस0
निदेशक

समाज कल्याण/जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग हेतु सामान्य दिशा–निर्देश।

1. यह निःशुल्क कोचिंग सुविधा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्रा जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो, इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम स्तर से जारी आय एवं जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जानी होगी।
2. छात्र/छात्रा को निःशुल्क कोचिंग हेतु निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन करना होगा। (प्रारूप निर्देशों के साथ संलग्न है)। आवेदन हेतु कोई शुल्क निर्धारित नहीं है।
3. छात्र/छात्राओं के पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र **केवल पंजीकृत डाक** से **दिनांक 20 सितम्बर 2019** तक निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड, मानपुर पूर्व, रामपुर रोड हल्द्वानी–नैनीताल पिन–263139 के पते पर पहुँच जाने चाहिए।
4. छात्र दो प्रकार की कोचिंग में से केवल एक के लिए आवेदन कर सकेगा, या तो प्रशासनिक सेवा हेतु (आई.ए. एस., पी.सी.एस. या लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित ऐसी परीक्षाएं जिनमें प्रारम्भिक, मुख्य एवं साक्षात्कार आदि की तीन स्तर की परीक्षाएं होती हैं) या अन्य सेवा (बैंकिंग, एस0एस0सी0, समूह 'ग' एवं अन्य एक दिवसीय परीक्षा) के लिए।
5. छात्र/छात्राओं को अपने आवेदन पत्र में इच्छुक संस्थाओं के चयन हेतु वरीयता क्रम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
6. कोचिंग हेतु स्वीकृत कुल छात्रों की संख्या के सापेक्ष 30 प्रतिशत स्थान उत्तराखण्ड की छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।
7. उत्तराखण्ड के दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा, इस हेतु निर्धारित सक्षम स्तर से निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। लेकिन पात्र दिव्यांग छात्र/छात्रा उपलब्ध न होने पर इन स्थानों के सापेक्ष अन्य छात्र/छात्राओं का चयन किया जा सकता है।
8. उक्त कोचिंग सामान्यतः 6 माह की होगी पर संस्थान द्वारा इसे 2–3 माह अतिरिक्त भी बढ़ाया जा सकता है परन्तु छात्रों को मानदेय केवल अधिकतम छः माह तक के लिए देया होगा। कोचिंग की निर्धारित समयावधि के लिए पृथक से निदेशालय समाज कल्याण से आदेश जारी होंगे।
9. जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रारम्भिक एवं मुख्य दो परीक्षाएं निर्धारित हैं, उनमें प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को दोनों परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा देय होगी बशर्ते यह लाभ छात्र/छात्रा द्वारा पूर्व वर्ष में न लिया गया हो।
10. प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रत्येक छात्र को वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति भी देय होगी जिसकी दर स्थानीय छात्रों के लिए रू0 750/–प्रतिमाह तथा प्रशिक्षण केन्द्र/मुख्यालय से बाहर के छात्रों हेतु रू0 1500/– प्रतिमाह होगी। यह व्यवस्था स्थाई निवास प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगी।
11. चयनित छात्र/छात्रा को निरन्तर प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा और छात्र/छात्रा की अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर उपस्थिति माह में 75 प्रतिशत से कम होने पर छात्र को मानदेय नहीं दिया जायेगा।
12. छात्र/छात्रा को कोचिंग की अवधि में कोचिंग संस्था में अनुशासन में रहना अनिवार्य होगा यदि वे कोचिंग संस्थान में अनुशासनहीनता या अन्य अव्यवस्था में संलिप्त पाया जाता है और इस संबंध में संस्था या संस्था का भौतिक निरीक्षण करने वाले किसी अधिकारी द्वारा यह तथ्य विभाग के संज्ञान में लाया जाता है तो छात्र के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
13. छात्र/छात्रा समाज कल्याण/जनजाति कल्याण विभाग को अपना बैंक खाता संख्या आई.एफ.एस.सी. कोड सहित कोचिंग संस्था के माध्यम से उपलब्ध करायेगा, जिसके माध्यम से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
14. कोचिंग हेतु छात्र संख्या सीमित है, इसलिए यदि छात्र/छात्राओं के आवेदन निर्धारित संख्या से अधिक प्राप्त होते हैं, तो विभाग संस्थाओं के माध्यम से छात्रों के चयन हेतु उनके स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंक/प्रतिशत के आधार पर मेरिट के अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट या साक्षात्कार भी ले सकता है।
15. छात्रों के चयन का अन्तिम अधिकार विभाग का होगा।

निःशुल्क कोचिंग हेतु चयनित संस्थाओं के लिए सामान्य दिशा–निर्देश

प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्थाऐं

प्रशासनिक सेवा परीक्षा कोचिंग हेतु–

1. राओस, आई.ए.एस. अकादमी, 177 बंसल मार्केट, नियर–पी.एन.बी. बैंक करनपुर, देहरादून।

2. द एकलव्य सिविल सर्विसेज अकादमी, 43/34 करनपुर रोड नियर डीएवी कालेज देहरादून।

3. जीत आई.ए.एस. एकेडमी, दुर्गा सिटी सेन्टर, हल्द्वानी।

4. दिशा सिविल एकेडमी, 2 सीमेट रोड निकट चावला चौक, करनपुर, देहरादून।

5. निकुम्भ, आई.ए.एस., कालाढूँगी रोड, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी–नैनीताल।

अन्य सेवा परीक्षा कोचिंग हेतु–

6. आस्थान आइसेट प्रथम तल, आस्थान राधेश्याम आर्केड लखनपुर टेडा रोड, रामनगर–नैनीताल।

7. स्टार टैक्नोलॉजी, कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी, टनकपुर रोड, खटीमा, ऊधमसिंहनगर।

8. चाणक्य स्टडी प्वाइंट समिति, ऋषिकेश रोड, डोईवाला, देहरादून।

1. विभाग कोचिंग संस्थान को संचालित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करेगा उसके उपरान्त कोचिंग संस्थान द्वारा विभाग के साथ सहमति पत्र भी भरा जायेगा।
2. चयनित संस्थाएं निर्धारित कोचिंग के लिए उच्च गुणवत्ता के साथ कोचिंग प्रदान करेंगे।
3. कोचिंग सस्थाएं अपने स्तर पर यह प्रयास करेंगी कि छात्रों की पठन–पाठन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की पृच्छा एवं समस्याओं का निराकरण अनिवार्यतः अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।
4. कोचिंग संस्थाएं छात्रों को आधुनिकतम सुविधाओं के साथ कोचिंग उपलब्ध करायेंगे साथ ही छात्रों को आवश्यकतानुसार पठन–पाठन की सामग्री यथा नोट्स आदि भी उपलब्ध करायेंगे।
5. कोचिंग संस्था में संचालित किये जाने वाली कक्षाओं की समयावधि सामान्यतः 2.30 घण्टे की होनी अनिवार्य है, न्यूनतम 3–4 कक्षाऐं प्रतिदिन तथा 5 दिवस प्रति सप्ताह ली जानी आवश्यक होंगी।
6. संस्था का यह दायित्व होगा कि उनकी संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्रा अनुशासन में रहेंगे और छात्र की किसी भी अवांछित गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
7. संस्था द्वारा छात्र–छात्राओं के उचित पठन–पाठन एवं छात्रों के कक्षाओं में बैठने का उचित प्रबन्ध किया जायेगा साथ ही संस्था में छात्रों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी।
8. संस्था में छात्रों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा दर्ज की जायेगी। प्रत्येक माह संस्था छात्रों की उपस्थिति का विवरण विभाग को उपलब्ध करायेंगे। संस्थान से यह भी अपेक्षा है कि सुरक्षा के दृष्टिगत अपने संस्थानों में सी0सी0टी0वी0 भी लगवायें।
9. संस्थान द्वारा कोचिंग शुल्क के लिए एक पृथक से खाता खोला जायेगा जिसे समय–समय पर निरीक्षण के समय अवलोकित किया जायेगा।
10. यदि छात्र प्रशिक्षण प्रारम्भ के 15 दिन के अन्दर ही प्रशिक्षण छोड़ देता है तो छात्र पर किये गये समस्त व्यय की वसूली सम्बन्धित संस्थान से की जायेगी।
11. संस्था द्वारा संस्था में प्रवेशित सभी छात्रों के प्रवेश पत्र बनाकर निर्गत किये जायेंगे, प्रवेश पत्र पर छात्र का फोटो चस्पा होगा और संस्थाध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी होगा।

अन्य विवरणः– निःशुल्क कोचिंग से सम्बन्धित शर्तों एवं आवेदन पत्र के प्रारूप के लिए छात्र/छात्रा समाज कल्याण विभाग की बेवसाईट (www.socialwelfare.uk.gov.in) तथा निदेशालय, समाज कल्याण दूरभाष नं0 05946–297050, मो0नं0 8006009077 एवं जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय (जनपद पौड़ी– 01368–222375, टिहरी– 01378–232130, चमोली–01372–252521, रूद्रप्रयाग–01364–233528, उत्तरकाशी–01374–223731, देहरादून–9675044713, हरिद्वार– 01334–239743, नैनीताल– 05942–248431, अल्मोड़ा–05962–235564, पिथौरागढ़– 05964–227475, बागेश्वर– 05963–221334, चम्पावत– 05965–230307, ऊधमसिंहनगर–05944–250263) से जानकारी ले सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु निःशुल्क कोचिंग हेतु आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2019–20

प्रशासनिक सेवा ☐ **अन्य सेवा** ☐ (अभ्यर्थी जिस सेवा हेतु कोचिंग चाहते हैं उसके सामने√ का चिन्ह अंकित करें।)

अभ्यर्थी का नाम...

पिता का नाम...

नवीनतम फोटोग्राफ

लिंग–महिला/पुरूष...**जन्म तिथि**...

जाति.................................**उप जाति**...**गृह जनपद**..........................

अभिभावकों की वार्षिक आय...

अभ्यर्थी का आधार नम्बर...

पत्र व्यवहार का पता...

स्थाई पता...**मोबाईल नं0**..........................

बैंक खाते का विवरणः–

बैंक का नाम...बैंक खाता संख्या.....................................आई.एफ.एससी.कोड.......................

शैक्षिक योग्यताः–

कक्षा	वर्ष	विश्वविद्यालय/संस्थान	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
स्नातक					
परा स्नातक					
अन्य					

संस्था के चयन हेतु वरीयताक्रम :– (विज्ञप्ति में प्रकाशित संस्थाओं के नाम को वरीयता क्रम में अंकित करें)

प्रशासनिक सेवा हेतु

(a)...
(b)...
(c)...
(d)...
(e)...

अन्य सेवा हेतु

(a)...
(b)...
(c)...

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में योजनान्तर्गत निःशुल्क कोचिंग प्राप्त नहीं की गई है, उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो मैं इसके लिए स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांकः–

संलग्नकों की संख्या......

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

नोटः– **अभ्यर्थी द्वारा अपने आधार, स्थाई निवास, जाति, आय (जो रू0 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो का प्रमाण पत्र), बैंक पासबुक, समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।**